59

III/निग०/रीवा/ भू-रा०/2017/3367

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा

Rs 30/-

1– जगदेव मुडहा तनय रामदुलारे

2– चिन्तामणि

3– राममणि

4– हीरालाल

5– मोतीलाल

6– भाईलाल

आवेदक सुरेन्द्र पाण्डेय द्वारा पेश 18.9.17

2 ता 6 के पिता भैरव प्रसाद पाण्डेय

7– रोहणी प्रसाद

8– रमाकान्त

9– बुद्वसेन

10– बृजेश कुमार

7 ता 10 के पिता लालमणि पाण्डेय

11– रामजी

12– सुरेन्द्र

11 ता 12 के पिता रामाधार पाण्डेय

13– श्यामकली वेवा पत्नी कौशल प्रसाद पाण्डेय

सभी निवासी ग्राम टटिहरा थाना व तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0

——— निगरानीकर्तागण

बनाम

1– बंश बहोर द्विवेदी तनय महादेव द्विवेदी निवासी ग्राम टटिहरा थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 ———— गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश तहसीलदार महोदय,राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के प्र.0क्र0 93ए12/16–17 मे पारित आदेश दिनांक 27–06–17 को निरस्त

सुरेन्द्र पाण्डेय

सुरेन्द्र पाण्डेय

किया जाकर विधि सम्मत सीमांकन कराये जाने बावत्
आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 150 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त सार

यह निगरानी निगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना जिला रीवा म0 प्र0 के प्र0क0 93ए12 /16–17 में पारित आदेश दिनांक 27–06–17 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है निगरानी का तथ्य यह है कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार महोदय, तहसील हनुमना के समक्ष सीमांकन हेतु भूमि खसरा नं0 868 /1, 972/1, 974/1 क एवं 975/1क, स्थित ग्राम टटिहरा तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रकरण दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक हनुमना को एक सप्ताह के अन्दर सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना हल्का पटवारी चरैया द्वारा दिनांक 31–05–17 को बिना सीमावर्ती कृषकों को सूचना दिये सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जानकारी होने पर दिनांक 20–06–17 को गैर निगरानी कर्ता गण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न यायालय ने राजस्व निरीक्षक मण्डल से आपत्ति निराकृत किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक 27–06–17 को अलोच्य आदेश पारित किया गया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :–

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि निगरानीकर्ता गण की पुस्तैनी अवासीय भूमि खसरा क0 971/1236 जो वास्तव में 972/1236 है रकवा 0.96 एकड यानी 0.388 हे0 स्थित ग्राम टटिहरा पटवारी हल्का चरैया राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0 की स्थित भूमि आराजी पर

सुरेन्द्र पाण्डेय

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन / निगरानी / रीवा / भू.रा / 2017 / 3367

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
07-3-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र पाण्डेय उपस्थित। केवियेटकर्ता की ओर से श्री शारदा प्रसाद मिश्रा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 93 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27.6.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में चालान की प्रति के साथ दिनांक 20.4.17 को आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि ग्राम टटिहरा की भूमि सर्वे कमांक 868 / 1, 972 / 1, 974 / 1क, 975 / 1क का सीमांकन किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कर प्रतिवेदन तैयार करें। 3–राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 31.5.17 को पटवारी हल्का को साथ लेकर मान्यता प्राप्त चालू नक्शे के आधार पर पैमाइस उपकरण जरीव गुलिया आदि की सहायता से स्थल पर मौजूद स्थाई सीमा चिन्ह को स्थाई करते हुये अनावेदक की भूमि का सीमांकन किया गया। सीमांकन के पश्चात मौके का स्थल पंचनामा	

नजरी नक्शा, फील्ड बुक, सूचना पत्र, के साथ प्रतिवेदन तैयार किया गया। आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति का निराकरण किया जाकर आपत्ति सारहीन होने से निरस्त की गई हैं।

4—प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण चाहे तो वह अपने आराजियातों का सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र है। अतः राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना जिला रीवा द्वारा किये गये सीमांकन में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः उनका आदेश दिनांक 27.6.17 स्थिर रखने योग्य है।

5—उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 93/अ—12/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 27.6.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य